

सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त का कार्यालय

टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१०२९

OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Town Centre, CIDCO, Aurangabad - 431029

सं. महा./भ.नि./प्रयोज्यता

No. MH/AB/84421/PP/Complama/APP/2012/203

दिनांक

Dated: 21-11-2012

सेवा में,

To, The Proprietor,
M/s Excellent Enviro,
N-7, G-1/108, Triveni Nagar,
CIDCO, Aurangabad - 431001

विषय : कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता संकेत संख्या का आबंटन ।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the scheme frame there under applicability thereof-Allotment of code number.

महोदय,

आपकी फॅक्ट्री / स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दि..... से कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रतिधान खण्ड में समाविष्ट की गई है । उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि:

1. Your factory / establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the scheme, framed there under with effect from

01-01-2012 (22 persons)

(१) आपकी फॅक्ट्री / अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा १(३) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू होता है ।

(i) Your factory is engaged in one of the industries specified in Schedule 1 to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

२. आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा-१(३) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू किया है ।

(ii) Yours is an establishment classified as Export Services to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1(3) (b) of the Act.

३. आपकी फॅक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा १ (३) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है । अतः आपकी स्थापना को अ-सूचित माना गया है ।

१-क) जांच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधारपर व्यापित तत्कालिक स्वरुप की है, लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए ।

(1-A) The Coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification on your records for prior periods.

(१-ख) अधिनियम की धारा (१) (४) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ में सर्वेच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं..... दि..... के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुअे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तत्कालिक रूप से दि..... से, व्यापित करके उसके लिए, एमएच/एबी..... यह संकेत संख्या नियत की गई है ।

(1-B) With reference to your application No..... dated..... received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 Under Section 1(4) of the Act on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/AB..... provisionally covering your establishment with effect from pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on tem by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952.

